## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 01.06.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित लगभग 86 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क।**

**विवरण-** प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से खनन कर संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 01.06.2025 को बांदा पुलिस द्वारा जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र के **03 अभियुक्तों की आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 86 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।** अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना पैलानी पर **मु0अ0सं0 04/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986** पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी श्री सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.06.2025 को **03 अभियुक्तों** की अवैध रुप से अर्जित की गई **85 लाख 71 हजार 500 रुपये** की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।

**अभियुक्तों का विवरण -**

1. मो0 रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मोहल्ला शेखन कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर।
2. हलीम खान पुत्र घुरु खान निवासी सलीहाबाद थाना ललौली जनपद फतेहपुर।
3. मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान निवासी ग्राम सलीहाबाबा थाना ललौली जनपद फतेहपुर।

**जब्त सम्पत्ति का विवरण-**

1. ट्रक UP75T6032 अनुमानित कीमत 19 लाख 80 हजार रुपये
2. ट्रक UP71T8297 अनुमानित कीमत 16 लाख 37 हजार रुपये
3. ट्रक UP71T8505 अनुमानित कीमत 16 लाख 37 हजार रुपये
4. ट्रक UP71T7568 अनुमानित कीमत 16 लाख 36 हजार रुपये
5. ट्रक UP71T7726 अनुमानित कीमत 16 लाख 35 हजार रुपये
6. मोटरसाइकिल UP71AU5266 अनुमानित कीमत 46 हजार 500 रुपये

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त मो0 रजा हुसैन पुत्र इसरार अली उपरोक्त ।**

1. मु0अ0सं0 166/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 4/21 खनिज अधिनियम थाना पैलानी जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 04/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान उपरोक्त-**

1. मु0अ0सं0 166/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 4/21 खनिज अधिनियम थाना पैलानी जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 04/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त हलीम खान पुत्र घुरु खान उपरोक्त-**

1. मु0अ0सं0 166/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 4/21 खनिज अधिनियम थाना पैलानी जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 04/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा ।